न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 2/2018 (2018/00048)

उनवान

श्रीमति धोली देवी पत्नि श्री मदनलाल स्वामी निवासी पिपलाज तहसील केकडी जिला अजमेर

बनाम

1 महावीर पुत्र मदनलाल स्वामी
2 दयाराम पुत्र मदनलाल स्वामी
3 राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल स्वामी
4 सांवरलाल पुत्र मदनलाल स्वामी
5 भंवरी देवी पुत्री मदनलाल स्वामी नाबालिग
निवासी पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग 2021 कैम्प पिपलाज कैम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पिपलाज के खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.40 है. किस्म न.2 मे आने जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नही है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 1005, 1049 मे से रकबा 0.21 किस्म नहरी 2 मे से रास्ता चाहने पर तहसीलदार सावर जांच रिपोर्ट करवायी गयी।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार सावर अनुसार बताया गया कि ग्राम पिपलाज खसरा नम्बर 1048 तक पहुचने हेतु खसरा नम्बर 1049 तथा 1005 मे से गुजरते हुये कंटानी रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। खसरा नम्बर 1049 प्रतिवादी ने उपस्थित होकर रास्ता देने हेतु मना कर दिया । खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.35 है.किस्म नहरी 2 जिसमें 12 सहखातेदार है को पक्षकार नहीं बनाया गया उक्त खसरा नम्बर 1005 के खातेदारों के पक्षकार बनाये बगैर पहुच का रास्ता खसरा नम्बर 1048 तक नहीं पहुचा जा सकता है । ग्राम पिपलाज में दोराने शिविर ग्राम पिपलाज में पुनः रिपोर्ट तहसीलदार सावर से ली गई । जिसमें वादी के खातेदार ख.न. 1048 तक पंहुचने हेतु खसरा नम्बर 1005, 1049 में से गुजरते हुये कटानी रास्ते तक पहुचा जा सकता है। आराजी खसरा नम्बर 1005 पर मौके पर रास्ता चालू है जो आने–जाने के काम में आ रहा है। खातेदार भी आने जाने हेतु मना नहीं कर रहा है एंव सहमत है वादी के स्वयं के खसरा नम्बर 1048 तक पहुचने के लिये खसरा नम्बर 1049 में से रास्ता दिया जाना उचित है। रास्ता के लिये काम में आ रहा है। जिसका क्षैत्रफल लम्बाई में 52 मीटर एंव चौडाई में 4व.मी.(0.01 है.) भूमि की डी.एल.सी.दर 2,13,304/–से कीमत 2313 रूपये का दुगना 4626 रूपये वनते है

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पक्षकारान को सुना गया। शिविर ग्राम पिपलाज में पुनः रिपोर्ट तहसीलदार सावर से ली गई । जिसके अनुसार वादी के खातेदार ख.न. 1048 तक पंहुचने हेतु खसरा नम्बर 1005, 1049 में से गुजरते हुये कटानी रास्ते तक पहुचा जा सकता है। आराजी खसरा नम्बर 1005 पर मौके पर रास्ता चालू है जो आने–जाने के काम में आ रहा है। खातेदार भी आने जाने हेतु मना नहीं कर रहा है एंव सहमत है वादी के स्वयं के खसरा नम्बर 1048 तक पहुचने के लिये खसरा नम्बर 1049 में से रास्ता दिया जाना उचित है। रास्ता के लिये काम में आ रहा है। जिसका क्षैत्रफल लम्बाई में 52 मीटर एंव चौडाई में 4व.मी.(0.01 है.) भूमि की डी.एल.सी. दर 2,13,304/–से कीमत 2313 रूपये का दुगना 4626 रूपये बनते है प्रार्थीया द्वारा जमा कराने पर अप्रार्थीगण को राशि का भुगतान करें। तहसीलदार सावर उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल पिपलाज में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:36 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner